न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

मिसल न0 16 /प्रा0पत्र/21

2021/46

सरकार जर्ये पुलिस थाना बकानी

बनाम

बालाराम उर्फ बालूराम वगै0

अपराध अन्तर्गत धारा 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिशेध और प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 3 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण अधिनियम 1960

प्र.सू.रि.स. 63/2021 पुलिस थाना बकानी

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 451 जा.फो.
बाबत् सुपुर्दगी ट्रक टाटा LP न0 **RJ 14 GJ 8748**

26/8/21 प्रा0पत्र जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है। प्रा0पत्र में अकंन किया गया है कि पुलिस थाना बकानी द्वारा उक्त अपराध में प्रार्थी का वाहन ट्रक टाटा **LP** न0 **RJ 14 GJ 8748** को जप्त किया हुआ है। प्रार्थी ने उक्त वाहन के स्वामी मोहम्मद पुत्र अमान नूर से दिनांक 06.02.2021 से उक्त वाहन छ माह के लिये ठेके पर लिया है उस कम में इकरार नामा आलेखित है व प्रार्थी के पक्ष में एक मुख्तार नामा खास भी आलेखित है। वाहन को सुपुर्दगी में लेने हेतु निवेदन किया गया है। सम्बन्धित थाने से केस डायरी तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी व लोक अभियोजक को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण में संलग्न मोहम्मद पुत्र अमन नूर द्वारा निसार पुत्र सुभान खॉ के पक्ष में जो इकरार नामा(ठेका) आलेखित किया गया है उसके पेज न0 2 की अतिंम पंक्तियां इस प्रकार है " द्वितीय पक्ष उक्त वर्णित वाहन को किसी अवैधानिक कार्यो में संचालित नही करेगा यदि द्वितीय पक्ष द्वारा किसी ऐसे अवैधानिक कार्यों में उक्त वर्णित वाहन को अपने निजी लाभार्थ या परियोजनार्थ लिया जाता है तो इसमें प्रथम पक्ष एवं वाहन उत्तरदायी नही होगा। इस बाबत् द्वितीय पक्ष ही समस्त हर्जो-खर्चो एवं उसके द्वारा संचालन अवधि दौरान किये गये कार्यो का उत्तरदायी होगा एवं तत्काल यह लिखित इकरार नामा ठेका एवं मुख्तार नामा खास निरस्त समझा जावेगा।" इस प्रकार द्वितीय पक्ष द्वारा गोवशं को वाहन में ट्रांजिट परमिट नही बनवाकर अवैध रूप से परिवहन कर ले जाया जाना साबित है व इकरार नामें के अनुसार प्र0सू0रि0 दर्ज होने की दिनांक से ही यह लिखित इकरार नामा ठेका एवं मुख्तार नामा खास निरस्त हो चुका है। उक्तानुसार द्वितीय पक्ष (मुख्तार खास) को इस प्रकरण को प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नही है। उपरोक्त विवेचन से प्रा0पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रा0पत्र बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
झालावाड़